संख्या-13/2016/ 1126/52-2-16-2(61)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद / गाजियाबाद

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2016

विषयः- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों / अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक-319/अं0स0क0/कब्रिस्तानचहार दीवारी/2015-16 दिनांक 20-06-2016.06.2016 एवं सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0 के पत्र संख्या-255/व0आ0-31(88)/2016 दिनांक 29.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानोंअन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु जनपदो की वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 600.884 लाख/ (रू0 छ करोड अठठासी हजार चार सौ मात्र) जो संबंधित जनपदों के डी.आर.डी.ए. के पी.एल.ए. में रखी है, को, निम्नलिखित विवरण के अनुसार, पी.एल.ए. से अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर पर स्वतन्त्र रूप से परीक्षण कराते हुए सुनिश्चित करने एवं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही वर्ष 2015-16 हेतु स्वीकृत द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यो की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता से संबंधित आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेगे ।

<u>जनपदो को अवमुक्त की जा रही धनराशि का विवरण-:</u>

क्र0सं0	**जनपद का नाम**	**आवंटित कुल धनराशि(लाख रूपये में)**	**डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि धनराशि (रू0 लाख) में**	**डी0आर0डी0ए0 के पी0 एल0 ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	मुरादाबाद	1000.00	500.00	500.00
2	गाजियाबाद	201.7675	100.884	100.884
	योग			600.884

(रू0 छ करोड अठठासी हजार चार सौ **मात्र)**

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1230(1)/दस-2016, दिनांक 12 अगस्त, 2016 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव

<u>संख्या-13 /2016/1126 (1)/52-2-2016 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सर्वे आयुक्त, वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी. एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद, गाजियाबाद
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुरादाबाद, गाजियाबाद
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद, गाजियाबाद
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9- गार्ड फाइल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से

(डा0 अरविन्द कुमार चौरसिया)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।